2025/371

निष्पि
11.6.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

अनिल आदि बनाम रामकुमार आदि

प्रकरण संख्या 258 वर्ष 2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
2.06.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.06.2025 को पेश हो।	
02.6.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। बकुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जरिये वकील श्रवण कुमार उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा तारीख 11.6.2025 को पेश हो।	रा. रामकुमार Suman
11.6.2025	बकुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। वास्ते जवाब पेश हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि. वादी प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निष्पि आदेश [illegible] शामिल फाईल किया जावे। [illegible] से कम की जाकर [illegible] जाता दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:24:01 IST
Reason: SelfAttested